सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

भाद्र 15, बुधवार, *शाके* 1945-सितम्बर 06, 2023

*Bhadra 15, Wednesday , Saka 1945- September 06, 2023*

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**वन विभाग (क)**

विज्ञप्ति

**जयपुर, अगस्त 29, 2023**

**संख्या प. 2(24)वन/2023** :-चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जाँच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा:

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर

निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

मोनाली सेन,

**शासन सचिव, वन।**

**प्रथम अनुसूची**

| संख्या | नाम ब्लाक | नाम तहसील | नाम जिला | सीमा | विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | खसरा नम्बर | रकबा हे0 में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | आमलीखोरा रेंज-देवगढ़ | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | ग्राम- आमलीखोरा | 453/88 | 7.0200 हे. |
| | | | | | 454/88 | 1.4600 हे |
| | | | | | 455/88 | 0.0300 हे. |
| | | | | | 457/89 | 6.6500 हे. |
| | | | | | 458/89 | 0.4500 हे. |
| | | | | | 461/439 | 0.3900 हे. |
| | | | | | योग | 16.00 हेक्टर |
| | | | | उत्तर:- कृषि भूमि खसरा नम्बर 88/547,88/552,88/556<br>पूर्व :- गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नं. 89<br>दक्षिण:- गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नम्बर 83 एंव 88, कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 ,89/520 मौजा आमलीखोरा<br>पश्चिम:- गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नम्बर 84एवं 88, | | |

**(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)**

**उप वन संरक्षक,**

**प्रतापगढ़**

**द्वितीय अनुसूची**

वनखण्ड - आमलीखोरा ग्राम - आमलीखोरा
रेंज - देवगढ तहसील - प्रतापगढ़
वन मण्डल - प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

| क्र.सं. | नाम प्रजाति (स्थानीय) | नाम प्रजाति (बोटेनिकल) |
|---|---|---|
| 1 | सागवान | Tectona grandis Linn. |
| 2 | तेंदू/टिमरू | Diospyros melanoxylon Roxb. |
| 3 | कसोद | Cassia siamea Linn |
| 4 | आंवल छाल | Cassia auriculata |
| 5 | शीषम | Dalbergia sissoo Roxb. |
| 6 | बांस | Dendrocalamus strictus |
| 7 | चुरेल | Holoptelea integrifolia Planch |
| 8 | आंवला | Emblica officinalis Gaerth |
| 9 | नीम | Azadirachta indica A.Juss. |
| 10 | ईमली | Tamarindus indica Linn. |
| 11 | करंज | Pongamia pinnata Linn. |
| 12 | बैर | Zizyphus oenoplia |
| 13 | बहेड़ा | Terminalia bellirica (Gaerth) Roxb. |
| 14 | ढाक | Butea monosperma |

**क्षेत्रीय वन अधिकारी**
**धरियावद**

**(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)**
**उप वन संरक्षक,**
**प्रतापगढ़**

**प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र**

**(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)**

वनखण्ड - आमलीखोरा ए ग्राम - आमलीखोरा

रेंज - देवगढ़ तहसील - प्रतापगढ़

वन मण्डल -प्रतापगढ़ जिला - प्रतापगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Open cast marble mining कार्य हेतु जिला/वनमंडल प्रतापगढ में कुल 74.249 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या- FP/RJ/MIN/142599/2021) के प्रकरण में क्षर्तिपुरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ के आदेश क्रमाक राजस्व/भू.आ/प्रत्यावर्तन/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षैत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।
3. वर्तमान में 16.00 है. भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है। भविष्य में अन्य क्षैत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षेत्र में औसतन 0.3 है तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तेंदु, ढाक,कसोद, बांस, आंवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है ।
5. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) - भूमि है तथा चारो और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न हे एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षैत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7. प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वनक्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

**क्षेत्रीय वन अधिकारी**
**देवगढ़**

**(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)**
**उप वन संरक्षक,**
**प्रतापगढ़**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**